दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली :

रिट याचिका (सिविल) सं. 8841/2008

निर्णय सुरक्षित: 09 जुलाई, 2009

निर्णय घोषित: 16 जुलाई, 2009

सहादेवेंद्र कुमार .नि.उप.

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सौरभ आहूजा, अधिवक्ता

बनाम

रादिल्ली सरकार और अन्य .क्षे.रा. .....प्रत्यर्थी(गण)

द्वारा: अधिवक्ता श्री आदित्य मदन हेतु श्री जेचौधरी.के., अधिवक्ता

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री मदन बीलोकुर .
माननीय न्यायमूर्ति श्री एपाठक .के.

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है ? हाँ
2. रिपोर्टर्स को संदर्भित किया जाना चाहिए या नहीं? हाँ
3. क्या डाइजेस्ट में निर्णय को प्रकाशित किया जाना चाहिए या नहीं? हाँ

<u>न्या.ए .केपाठक .</u>

1. याचिकाकर्ता को 15 जून, 1989 को दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 3 जून, 2003 को प्रथम बार हेड कांस्टेबल के रूप उनके क्रम से पहले तदर्थ पदोन्नति दी गई थी और बाद में 22 मई, 2006 उन्हें नियमित किया गया था। उन्हें 30 मार्च, 2006 को द्वितीय बार सहायक उप निरीक्षक के रूप में अपने क्रम से पहले तदर्थ पदोन्नति दी गई थी। दिल्ली पुलिस नियम (पदोन्नति और पुष्टि), 1980 (संक्षेप में इसके बाद "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित के नियम (19 (ii) के तहत उन्हें उनके क्रम से पहले पदोन्नति दी गई थी।

2. अभियुक्त शेर सिंह राणा, जो श्रीमती फूलन देवी की हत्या में (सांसद) शामिल था जो 17 फरवरी, 2004 को तिहाड़ जेल से भाग गया था और दिल्ली पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 50,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी शेर सिंह राणा को पकड़ने के लिए 8 पुलिस अधिकारियों के एक दल का गठन किया गया था। याचिकाकर्ता उक्त दल के सदस्यों में से एक था। लगातार और अथक प्रयासों के बाद, पुलिस दल को पता चला कि अभियुक्त जाली पासपोर्ट पर बांग्लादेश गया था। उनकी उपस्थिति कोलकाता में भी देखी गई।

तदनुसार, याचिकाकर्ता के अलावा उपनीरज कुमार .नि., हेड कांस्टेबल सतीश कुमार, हेड कांस्टेबल सत्यवीर सिंह और कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार वाले दल के पांच पुलिस अधिकारी कोलकाता गए। याचिकाकर्ता और उसके साथियों ने छह महीने से अधिक समय तक लगातार अथक प्रयास किए और 24 मई, 2006 को कोलकाता में अभियुक्त शेर सिंह राणा को पकड़ लिया गया।

3. पुलिस उपायुक्त ने (विशेष शाखा)27 जून, 2006 को याचिकाकर्ता और उनके चार अन्य साथियों को अगले उच्च पद पर पदोन्नति हेतु उपस्थिति पत्र भेजा। याचिकाकर्ता को अन्य लोगों के साथ 15 दिसंबर, 2006 को असाधारण कार्य पुरस्कार के साथ (.पी.के.ए)5000/- रुका नकद पुरस्कार भी दिया गया . था। क्रम से पहले पदोन्नति की सिफारिश पुलिस उपायुक्त द्वारा (विशेष शाखा) की गई थी क्योंकि याचिकाकर्ता और उनकी दल ने न केवल असाधारण वीरता दिखाई थी, बल्कि आरोपी शेर सिंह राणा को पकड़ने में दृढ़ संकल्प, असाधारण गुणवत्ता की जांच, समर्पण, ईमानदारी, सावधानीपूर्वक योजना का भी प्रदर्शन किया था।

4. प्रोत्साहन समिति जिसमें अध्यक्ष के रूप में विशेष पुलिस आयुक्त, दो संयुक्त पुलिस आयुक्त और सदस्यों के रूप में उप पुलिस आयुक्त शामिल हैं, का गठन क्रम से पहले पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए किया गया था।

24 अप्रैल, 2007 को प्रोत्साहन समिति ने कोलकाता दल के सदस्यों के मामलों पर विचार किया और उपनीरज कुमार .नि., हेड कांस्टेबल सतीश कुमार, और कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार को क्रम से पहले पदोन्नति देने की सिफारिश की। हालांकि, प्रोत्साहन समिति ने याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश को क्रम से पहले पदोन्नति नहीं करने का फैसला किया। प्रत्यर्थियों के अनुसार, याचिकाकर्ता को क्रम से पहले पदोन्नति नहीं दी गई थी क्योंकि उसे भूतपूर्व दो बार क्रम से पहले पदोन्नति का लाभ मिला था।

5. प्रोत्साहन समिति द्वारा क्रम से पहले पदोन्नति से इनकार किए जाने से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ के समक्ष मू .सं .आ.1512/2007 दायर किया संक्षेप में इसके बाद) "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भितप्रार्थना की गई कि प्रत्यर्थियों को क्रम से पहले मेंसजि निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु याचिकाकर्ता के वैध -र उपप रधाआ के तिपदोन्न दावे पर विचार करने और वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन आदि सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। यह आरोप लगाया गया था कि प्रत्यर्थियों ने, याचिकाकर्ता को क्रम से पहले पदोन्नति नहीं देने में, उसके साथ दल के अन्य सदस्यों की तुलना में अलग व्यवहार किया था जो याचिकाकर्ता के समान ही

प्रतिष्ठित थे और प्रत्यर्थियों की यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन थी।

6. 18 सितंबर, 2008 के विवादित आदेश के माध्यम से न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि क्रम से पहले तदर्थ पदोन्नति किसी दिए गए वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या और ऐसी पदोन्नति हेतु विचार किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसा हो सकता है कि एक वर्ष में रिक्तियों की संख्या अधिक हो और सिफारिशों की संख्या कम हो या इसके विपरीत भी हो। इन तथ्यों के आधार पर, प्रोत्साहन समिति किसी विशेष वर्ष में प्रचलित स्थिति के आधार पर पालन की जाने वाली नीति को बदल सकती है। परिस्थितियों के आधार पर, प्रोत्साहन समिति उन लोगों के लिए क्रम से पहले पदोन्नति को प्रतिबंधित कर सकती है जिन्हें पहले ही ऐसी दो पदोन्नति मिल चुकी हैं और पक्षपात का अनुरोध तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि किसी विशेष वर्ष में सभी उम्मीदवारों के साथ सामान्य मानदंडों के अनुसार समान व्यवहार किया जाता है। याचिकाकर्ता की तुलना उन लोगों से की जा सकती है जिन्हें उस वर्ष क्रम से पहले पदोन्नति हेतु माना गया था जिस वर्ष में कोलकाता दल के सदस्यों पर विचार किया गया था। याचिकाकर्ता की तुलना कोलकाता दल के अन्य सदस्यों से करते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ पक्षपात

किया गया क्योंकि उन्हें तीसरी बार पदोन्नति नहीं दी गई थी। न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के साथ पक्षपात नहीं किया गया था क्योंकि उस विशेष वर्ष में प्रोत्साहन समिति द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार उसे तीसरी बार क्रम से पहले पदोन्नति से इनकार कर दिया गया था।

7. हमारी राय है कि न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया आलोकन वर्तमान मामले के तथ्यात्मक और कानूनी संदर्भ में गलत है।

8. याचिकाकर्ता दिल्ली पुलिस का सदस्य है। दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 5 का खंड संक्षे) (ख)प में इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भितप्रदान (करता है कि दिल्ली पुलिस में भर्ती, और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य सभी शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जा सकती हैं। उक्त अधिनियम की धारा 147 की उपधारा)1) में प्रावधान है कि प्रशासक उक्त अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 147 की उपधारा 2 (क से पता चलता है कि प्रशासक के पास धारा (5 के खंड के तहत दिल्ली पुलिस के सदस्यों की भर्ती (ख), वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य सभी शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है।

9. दिल्ली पुलिस नियम (पदोन्नति और पुष्टि), 1980 (संक्षेप में इसके बाद "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित को प्रशासक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा (

147 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता और दिल्ली पुलिस के अन्य सदस्यों की पदोन्नति और पुष्टि उक्त नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। उक्त नियमों के नियम 5 में दिल्ली पुलिस के सदस्य की पदोन्नति हेतु सामान्य सिद्धांत शामिल हैं। हालांकि, नियम 19 तदर्थ पदोन्नति से संबंधित है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है-:

> "(i) विशेष परिस्थितियों में जब पदोन्नति सूची में कोई अनुमोदित नाम नहीं हैं, और रिक्तियां मौजूद हैं, तो पुलिस आयुक्त, वरिष्ठता के क्रम में उपयुक्त अधिकारियों को अस्थायी रूप से अगले उच्च पद पर पदोन्नत कर सकता है। ऐसी पदोन्नतियाँ संबंधित अधिकारियों को नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता या ऐसे या किसी अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं देंगी। और वे योग्य व्यक्ति उपलब्ध होते ही बिना किसी सूचना के प्रत्यावर्तन हेतु उत्तरदायी होंगे।
>
> (ii) असाधारण वीरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण दिखाने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों, निशानेबाजों, अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, पुलिस आयुक्त, प्रशासक की पूर्व मंजूरी के साथ, ऐसे अधिकारियों को अगले उच्च पद पर पदोन्नत कर सकता है बशर्ते रिक्तियां मौजूद हों। इस तरह की पदोन्नति रैंक में दिए गए वर्ष में खाली होने वाली रिक्तियों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऐसी पदोन्नतियों को तदर्थ माना जाएगा और नियमित किया जाएगा जब पदोन्नत किए गए व्यक्तियों ने निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे (लोअर स्कूल कोर्स), यदि कोई

हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। वरिष्ठता के प्रयोजनों हेतु इस तरह के पदोन्नति को उस वर्ष के लिए तैयार की गई पदोन्नति सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।

(iii) पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर में उचित (वर्तमान में डीएपी चतुर्थ बटालियन) योग्यता और प्रतिभा वाले कर्मियों को तैनात करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन के रूप में पूरी तरह से पदोन्नत व्यक्ति को वरिष्ठता और नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान किए बिना इंस्पेक्टर के स्तर तक आकस्मिक आधार पर एक रैंक पदोन्नति दी जा सकती है। चाहे कुछ भी हो, भले ही वह पदोन्नति सूची में शामिल हो।

जैसे ही वे प्रशिक्षण संस्थानों से बाहर स्थानांतरित हो जाएंगे और प्रशिक्षक नहीं रह जाएंगे, तो ऐसी पदोन्नतियां अपने मूल पद पर वापस आ जाएंगी।"

10. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नियम 19 का उप) नियम-ii) बल के सदस्यों की क्रम से पहले पदोन्नति को नियंत्रित करता है, जो असाधारण वीरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण दिखाते हैं। हालाँकि, ऐसी पदोन्नति रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन दी जा सकती है और आगे की शर्त के साथ कि ऐसी पदोन्नति रैंक में दिए गए वर्ष में रिक्त होने की संभावित रिक्तियों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नियम मेहनती, समर्पित और

निष्ठावान पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहित करने हेतु बनाया गया है। उक्त नियमों का नियम 19 किसी विशेष अधिकारीपुलिस अधिकारी को क्रम से पहले / पदोन्नति की संख्या पर कोई प्रतिबंधनहीं लगता है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि कर्तव्य के प्रति समर्पण और वीरता का प्रदर्शन करने वाले योग्य अधिकारी को तीसरी बार पदोन्नति नहीं दी जा सकती है।

11. उक्त नियमों के नियम 19 में प्रशासक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 147 की उपधारा)1) के आधार पर निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वैधानिक बल तैयार किया गया है। तदनुसार, कोई भी परिपत्र, दिशानिर्देश या कार्यालय ज्ञापन मूल नियमों का स्थान नहीं ले सकता है। वैधानिक नियमों के विपरीत कोई नीति नहीं बनाई जा सकती है। तदनुसार, हमारा विचार है कि प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता को तीसरी बार क्रम से पहले पदोन्नति से इनकार नहीं कर सकता था, जिसे उपनीरज कुमार .नि., हेड कांस्टेबल सतीश कुमार और कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार नामक उनके अन्य साथियों के साथ समान रूप से रखा गया था, याचिकाकर्ता उसी दल का हिस्सा था जिसने आरोपी शेर सिंह राणा को पकड़ा था।

12. हमारा मानना है कि प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को इस कथित आधार पर क्रम से पहले पदोन्नति देने से इनकार कर दिया कि उसे पहले ही दो बार क्रम से पहले पदोन्नति मिल चुकी हैं, जबकि दल के अन्य सदस्यों अर्थात उपनीरज .नि.

कुमार, हेड कांस्टेबल सतीश कुमार और कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार को क्रम से पहले पदोन्नति देना मनमाना है और टिकाऊ नहीं हैं.

13. ऐसा प्रतीत होता है कि अतीत में उपराजीव कुमार .नि., उपउमा .नि. राकेश कुमार को क्रमशः वर्ष .नि.शंकर और उप2006, 2005 और 1999 में तीसरी बार पदोन्नति दी गई थी। हालाँकि, याचिकाकर्ता को इस आधार पर तीसरी बार क्रम से पहले पदोन्नति से इनकार कर दिया गया है कि उसे पहले ही दो बार क्रम से पहले पदोन्नति मिल चुकी थी। इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्यर्थी ने पहले भी बल के कुछ सदस्यों को तीसरी बार पदोन्नति दी थी, याचिकाकर्ता को तीसरी बार क्रम से पहले पदोन्नति से इनकार करने की उनकी कार्रवाई मनमानी और पक्षपातपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

14. इस मामले में उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स और लागू कानूनी स्थिति में, हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में गलत दृष्टिकोण अपनाया है कि प्रोत्साहन समिति द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के संदर्भ में प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता की तीसरी तदर्थ पदोन्नति को अस्वीकार करना उचित था। तदनुसार, हम रिट याचिका की अनुमति देते हैं और मू .सं .आ.1512/2007 में पारित विवादित आदेश को खारिज करते हैं और प्रत्यर्थियों को निर्देश देते हैं कि जिस तारीख से कोलकाता दल के तीन अन्य सदस्य अथार्त उपनीरज कुमार .नि.,

हेड कांस्टेबल सतीश कुमार और कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार को तदर्थ पदोन्नति दी गई थी उसी तारीख से तदर्थ आधार पर उपनिरीक्ष-क के पद पर याचिकाकर्ता को क्रम से पहले पदोन्नति का लाभ दें, याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ भी दिए जाएं।

रिट याचिका की अनुमति है।

न्या. ए.केपाठक .

न्या. मदन बीलोकुर .

16 जुलाई, 2009

आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*